महत्वपूर्ण

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1480 /अमरोहा/25152/2017, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर 01 , 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषय : अमरोहा–कॉठ मार्ग (MDR-150) किमी0 21.840 से 26.540 तक दायीं पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 55 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक–1684/14–1, दिनांक 22.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 21.07.2017 द्वारा इंगित सूचनाओं का निराकरण कर प्रस्ताव की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैं। उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि कतिपय बिन्दुओं की सूचनायें पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं। उक्त अपूर्ण सूचनाओं के अभाव में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

1– बिन्दु–1 के कम में संशोधित पावर आफ अटार्नी पृष्ठ–23 पर संलग्न है, जबकि पत्र में पृष्ठ–7 अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। उक्त के अतिरिक्त उक्त संशोधित पावर ऑफ अटार्नी को ऑनलाइन पार्ट–1 पर अपलोड नहीं किया गया है। अपलोड करें।

2– बिन्दु–2 के कम में ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ए–1(9) व बी–2.1 से 2.4 पर गैर वनभूमि का क्षेत्रफल अपलोड नहीं किया गया है।

3– बिन्दु–3 के कम में प्रस्तावित वनभूमि के संशोधित डिजिटल मैप को ऑनलाइन पार्ट–1 पर अपलोड नहीं किया गया है।

4– बिन्दु–4 के कम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव के साथ एवं ऑनलाइन 1:50000 स्केल के मूल टोपोशीट में चिन्हित कर संलग्न एवं अपलोड नहीं किया गया है।

5– बिन्दु–5 के कम में प्रस्ताव के पृष्ठ–79 से 81 तक संलग्न अभिलेख सुसंगत नहीं हैं। परियोजना में विद्यमान R.O.W., प्रस्तावित वनभूमि एवं चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष वनभूमि एवं गैर वनभूमि का चैनेजवार अलग–2 गणना संलग्न नहीं है।

6– क्षतिपूरक वनीकरण एवं दण्डात्मक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल को सर्वे आफ इंडिया की 1:50000 स्केल के मूल टोपोशीट में चिन्हित कर संलग्न एवं अपलोड नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों एवं तद्नुसार विषय–सूची को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 1480 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार त्रुटिरहित संशोधित प्रस्ताव अपने वन संरक्षक को 02 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–18, सी एण्ड डी एस उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।